186

न्यायालय श्रीमान मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवाम0प्र0

R 5449-II/16

Rs.30/-

§1§ लालमणि पयासी तनय श्री वासुदेव पयासी

§2§ श्यामसुन्दर पयासी तनय वासुदेव पयासी

§3§ रजनीश कुमार पयासी तनय लालमणि पयासी सभी निवासी ग्राम हाटा तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 ---- आवेदकगण

अधिवक्ता श्री टी.पी. चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत 04.X.16

बनाम्

§1§ श्रीमती अहिल्या देवी पत्नी श्री रामकृपाल पयासी

§2§ संतोष कुमार पयासी तनय रामकृपाल पयासी

§3§ दिनेश कुमार पयासी तनय रामकृपाल पयासी

§4§ श्रीमती पृमिला पत्नी सन्तोष कुमार पयासी

§5§ सुभद्रा पत्नी दिनेश कुमार पयासी सभी निवासी ग्राम हाटा तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 --- अनावेदकगण

निगरानी बिरुद्ध आज्ञा श्री तहसीलदार तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 बावत् प्रकरण क्रमांक 408ए74/2013- 14 आदेश दिनांक 30/8/2016

---

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959ई0

---

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्न है:-

§1§ यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है।

§2§ यहकि मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक 2687/तीन/2014 आदेश दिनांक 12/6/2015 का विधिवत पालन नही किया गया जब उनके आदेश एवं

निरन्तर 2पर

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R**–5449-**II**/16 जिला–रीवा

लालमणि पयासी/ अहिल्यादेवी पयासी वगैरः

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 19.12.18 | 1. आवेदक की ओर से श्री अभिताब चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 408/ए–74/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30.08.16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।<br><br>सदस्य | |

नT

I

आदेश

क्षा एवं